

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कॉलोनी, भोपाल

कमांक

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक

--: कार्यालय आदेश :-

बोर्ड द्वारा आदेश कमांक 2327 दिनांक 14.10.2014 के माध्यम से जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति/उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समय सीमा 45 दिवस निर्धारित की गई है। उपरोक्त समय-सीमा में आवेदनों के निराकरण संबंधी कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. उद्योगों द्वारा किये जाने वाले आवेदन पर आई.डी. व पासवर्ड ऑनलाइन ई-मेल के माध्यम से अधिकतम 3 दिवस की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किये जायें।
2. वृहद व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के आवेदन प्राप्त होने पर उनकी (Scurtinty) स्वयं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवसों में पूर्ण की जावेगी।
3. इकाई का निरीक्षण कार्य उसके प्रोफाइल के अनुमोदन पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उद्योग का प्रोफाइल स्वीकृत करने व ऑनलाइन शुल्क प्राप्त होने पर अधिकतम 07 कार्य दिवसों के अन्दर वृहद व मध्यम श्रेणी के उद्योगों का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी स्वयं कर, निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।
5. मुख्यालय में संबंधित यूनिट हेड द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर अनुशंसा प्राप्त होने पर 03 कार्य दिवस के अन्दर आवश्यक प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न किया जावेगा। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित अनुशंसा उपरान्त यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो सदस्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त कर ही उद्योग को क्वेरी की जाये।
6. सम्मति एवं नवीनीकरण संबंधी आवेदनों का निराकरण 45 दिनों के अन्दर किया जाना है। वृहद एवं मध्य श्रेणी के उद्योगों हेतु यह प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने की जिम्मेदारी मुख्ययालय के सभी संबंधित यूनिट हेड की होगी। इस हेतु वे समस्त प्रकरणों की ऑनलाइन ट्रेकिंग करेंगे तथा ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण 30 दिवस में नहीं हो पाया है के प्रकरणों में विलंब की स्थिति दर्शाते हुये कारण सहित प्रकरण प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11.00 बजे सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कॉलोनी, भोपाल

7. इसी प्रकार की कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लघु श्रेणी के प्रकरण में संपादित की जावेगी तथा लंबित प्रकरणों संबंधी जानकारी व ऐसे प्रकरण जो कि Scurtiny/query में हैं, के संबंध में स्थिति से दूरभाष पर सदस्य सचिव को अवगत करायेंगे।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ०कमांक 1142 /स्था/प्रनिबो/2015
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 12 MAY 2015

- 1 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
- 3 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
- 4 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

ॐ